रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 1982/माघ 5, 1903
No. 31] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1982/MAGHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मन्त्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1982

का० आ० 48(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ तिरपनवां संशोधन) नियम, 1982 होगा।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,—

(क) प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि "18. ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"18 ग्रामीण विकास मंत्रालय",

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 16ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी अर्थात् —

16गग. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास

नोट अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए गृह मंत्रालय नोडीय मंत्रालय होगा। इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, योजना, परिवीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि, एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडीय मंत्रालय अथवा विभाग होगा। ",;

(ख) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. औद्योगिक विकास विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"22क. ग्रामीण और कुटीर उद्योग ।",

(ग) "ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् —

"ग्रामीण विकास मंत्रालय";

(घ) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" के अंतर्गत,—

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"6 मरुस्थल विकास कार्यक्रम।",

(ii) प्रविष्टि 7 का लोप किया जाएगा।.

(झ) "निर्माण और आवास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 28 का लोप किया जाएगा ।;

(ञ) "पर्यावरण विभाग" के अंतर्गत, प्रविष्टि 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974.

6 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 ।

7. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981."

(ट) "योजना आयोग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6क. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।"।

नीलम संजीव रेड्डी
राष्ट्रपति

[सं० 74/3/13/81-मंत्रि]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 1982

S.O. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-third Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(A) in the First Schedule, for entry "18. Ministry of Rural Reconstruction (Gramin Punarnirman Mantralaya)", the following entry shall be substituted, namely:—

"18. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)";

(B) in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", after entry 16C, the following entry shall be inserted, namely:—

"16CC. Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Note : The Ministry of Home Affairs will be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities, policy, planning, monitoring, evaluation, etc., as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.";

(b) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", after entry 22, the followingentry shall be inserted, namely :—

"22A. Village and cottage industries.";

(c) for the heading "MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION (GRAMIN PUNARNIRMAN MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)";

(d) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)",—

(i) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

"6. Desert development programmes.";

(ii) entry 7 shall be omitted ;

(e) under the heading "MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)", entry 28 shall be omitted.;

(f) under the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)", after entry 4, the following entries shall be inserted, namely :—

"5. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

7. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981."; and

(g) under the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)", after entry 6, the following entry shall be inserted, namely :—

"6A. Hill areas development programme.".

N. SANJIVA REDDY
President

[No. 74/3/13/81-Cab.]
PREM KUMAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982